अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम आगुँच

पुष्पेन्द्र पिता लादुराम लौहार
निवासी– कुम्हारियॉ

बनाम कैलाश पिता मूला नागला
निवासी– आगुँचा

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रेवे. एक्ट प्रकरण स

11.06.2018

प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट आगुँचा प
प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन
आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं।
उक्त आराजियात के पडौसी
जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दि
की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्र
खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त
किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थर
जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली प
दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमा
2072 से 2075 मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा तह
की आराजी नं.– 5398, 5399 किता 2 रकबा 17 बीघा 18
के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं।
प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी पाये जाने
पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा भगवानपु
हल्का आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नं.– 5398, 539
रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचि
जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी
के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये
निरीक्षक– हुरडा को 2,000/–रूपये (अक्षरे– दो हजार
फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस
मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी
कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान
आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय
बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानक
की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा
जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें।
दिनांक 11.06.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गय

उपखण्ड
(राजेन्द्र पदेन सह
गुलाबपुरा बे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official